अनुबन्ध - 2

विदेशी सहायता

इस अनुबंध में मित्र देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से ऋणों, अनुदानों और वस्तुओं के रूप में मिली सहायता की मात्रा तथा उसके स्वरूप का विवरण संक्षिप्त रूप में दिया गया है। वर्ष 2007-2008 तथा 2008-2009 में, जो विदेशी सहायता मिली है, उसके मूलधन की वापसी-अदायगी तथा ब्याज की अदायगी के अनुमानों को नीचे दी गई सारणी में संक्षेप में दिखाया गया है:-

(करोड़ रुपए)

	बजट अनुमान 2007-2008	संशोधित अनुमान 2007-2008	बजट अनुमान 2008-2009
क. ऋण	17451.52	17402.60	19209.93
ख. नकद अनुदान	2033.30	2051.16	1755.31
ग. वस्तु अनुदान सहायता	101.87	40.02	40.02
घ. जोड़ (क+ख+ग)	**19586.69**	**19493.78**	**21005.26**
ङ ऋणों की वापसी-अदायगी	8340.97	7432.59	8220.66
च. विदेशी सहायता (वापसी अदायगी को घटाकर) (घ-ङ)	11245.72	12061.19	12784.60
छ. ऋणों पर ब्याज अदायगी	4316.88	3889.53	4143.17
ज. विदेशी सहायता (वापसी-अदायगी तथा ब्याज अदायगी को घटाकर) (च-छ)	6928.84	8171.66	8641.43

दो विवरण अर्थात विवरण 1 जिसमें विदेशी ऋणों की प्राप्तियां और वापसी-अदायगियां दिखाई गई है तथा विवरण 2 जिसमें अनुदान तथा वस्तु सहायता का ब्यौरा दिया गया है, इस अनुबंध के साथ संलग्न हैं।

द्विपक्षीय विकास सहयोग नीति के अनुसार जी-8 के सभी देशों नामतः संयुक्त राज्य अमेरिका, यू.के., जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा और रुसी संघ के साथ यूरोपीय आयोग से द्विपक्षीय विकास सहायता प्राप्त की जाएगी।

उन द्विपक्षीय विकास साझीदारों, जिनसे सरकारी स्तर पर विकास सहायता प्राप्त न करने का निर्णय किया गया है, को सलाह दी गई है कि वे अपनी विकास सहायता भारत में गैर-सरकारी संगठनों और विश्वविद्यालयों आदि को प्रदान करने पर विचार करें। यह भी सुझाव दिया गया है कि वे अपनी विकास सहायता बहुपक्षीय विकास अभिकरणों के माध्यम से देने पर भी विचार करें।

विभिन्न देशों और संगठनों से जो सहायता मिली है उसका संक्षिप्त ब्यौरा निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है:-

I. कनाडा

भारत को कनाडा की आर्थिक सहायता 1951 में शुरू हुई। कनाडा की सहायता कनाडा अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (सीडा) के माध्यम से दी जाती है। 1 अप्रैल, 1986 से सीडा द्वारा दी जाने वाली सहायता अनुदान के रूप में है।

भारत सरकार ने अक्तूबर 2003 में, द्विपक्षीय ऋणों पर अपनी नीति के अनुसार 1966-1986 के दौरान भारत सरकार द्वारा लिए गए ऋणों की एवज में 419.941 मिलियन सीएडी के संपूर्ण बकाया कनाडाई ऋण की समय पूर्व-अदायगी की थी।

अभी हाल में कनाडा सरकार की द्विपक्षीय सहायता से कोई नई परियोजना आरम्भ नहीं की गई है।

II. फ्रांस

फ्रांस सरकार 1968 से भारत को विकास सहायता प्रदान कर रही है। और 31.3.2007 तक 1103.4 मिलियन फ्रांक के 144 करारों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। 2007-08 के दौरान फ्रांस से विकास सहायता राशि के हिसाब से महत्वपूर्ण नहीं है। फ्रांस से सहायता वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से जुड़ी है। फ्रांस के सहयोग से सिर्फ चार विकास परियोजनाओं में शामिल ताजा जल में झींगा अंडज उत्पत्तिशाला (हेचरी), महाराष्ट्र डिजीटल मैपिंग सूचना प्रणाली और चेंबरम्बकम जल उपचार परियोजना क्रियान्वयनाधीन हैं।

वर्ष 2007-08 के दौरान 30.9.2007 तक 2007-08 के संशोधित अनुमान में 0.833 मिलियन यूरो की तुलना में 0.007 मिलियन यूरो की फ्रांस सहायता की राशि संवितरित की गई है।

III. जर्मनी

जर्मनी भारत के सबसे बड़े द्विपक्षीय विकास सहयोग भागीदारों में से एक है। जर्मनी वर्ष 1958 से भारत को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है और दिनांक 31.3.2007 तक 3773.5 मिलियन ड्यूश मार्क के 213 करारों पर हस्ताक्षर किए गए है। वित्तीय सहायता मुख्यतया कम ब्याज वाले ऋण, घटाए

गए ब्याज वाले ऋण, विकास ऋण के साथ-साथ केएफडब्ल्यू, जो जर्मन सरकार का विकास बैंक है, के माध्यम से अनुदानों के रूप में प्रदान की गई है। तकनीकी सहायता जीटीजेड, जो जर्मन सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला निगम है, के जरिए अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। भारत-जर्मनी विकास सहयोग कार्यक्रम में ऊर्जा क्षमता, पर्यावरणिक नीति, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण और सतत् उपयोग, अनवरत आर्थिक विकास (वित्तीय और निजी क्षेत्र का विकास) जैसे पारस्परिक करार किए गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर फोकस किया गया है।

इसके अतिरिक्त, जर्मनी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सामाजिक स्वास्थ्य बीमा, वित्तपोषण, महामारी और संक्रामक बीमारियों (एचआईवी/एड्स, पोलियो) की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास सहायता प्रदान करने और संबंधित स्वास्थ्य क्षेत्र के सुधारों में सहायता प्रदान करने की भी इच्छा व्यक्त की है।

जो मुख्य परियोजनाएं/कार्यक्रम जर्मन सहायता के तहत निधि पोषित की जा रही हैं, वे हैं, ऊर्जा क्षमता कार्यक्रम, ग्रामीण जलापूर्ति (राजस्थान), पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, नाबार्ड/सिडबी, रेल सिग्नल प्रणाली आदि में वित्तीय सहायता।

वर्ष 2007-08 (दिनांक 30.9.2007 की स्थिति के अनुसार) के दौरान सरकारी ऋणों का कुल संवितरण अनुदानों के 83.37 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान की तुलना में 57.22 करोड़ रुपए और 68.38 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान की तुलना में 44.51 करोड़ रुपए था।

IV. इटली

इटली वर्ष 1981 से भारत को रियायती ऋण के रूप में द्विपक्षीय सहायता प्रदान कर रहा है और इटली सरकार और भारत सरकार के बीच दिनांक 31.3.2007 तक अनेक मुद्राओं में 21 ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

पश्चिम बंगाल राज्य के 14 शहरों में जलापूर्ति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के लिए 25.82 मिलियन यूरो के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए इटली ने सहमति दी है, जिसके लिए दिनांक 10.1.2006 को ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भी इटली सहायता प्रदान करता है।

V. जापान

जापान विगत 15 वर्षों से भारत को सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता दे रहा है तथा जापान सरकार और भारत सरकार के बीच दिनांक 31.3.07 तक 2.275 ट्रिलियन जापानी येन के 197 ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जापान से वर्ष 2007-08 (सं.अ.) के दौरान 2617.68 करोड़ रुपए और वर्ष 2008-09 (ब.अ.) के दौरान 3462.71 करोड़ रुपए की ऋण सहायता (ओडीए) प्राप्त होने की आशा है।

ब.अ. 2007-08 से सं.अ. 2007-08 तक 1902.08 करोड़ रुपए की निवल गिरावट हुई है। यह मुख्यतया केरल जलापूर्ति, बकरेस्वर ताप विद्युत परियोजना, कर्नाटक अनवरत वन प्रबंधन परियोजना, बंगलौर जलापूर्ति चरण-II, पुरूलिया पम्पड् स्टोरेज परियोजना और बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना में प्रत्याशा से कम आहरण के कारण हुआ। दिनांक 30.9.2007 की स्थिति के अनुसार, जापान की सरकार से 1158.75 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्राप्त हुई है।

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान निम्नलिखित के लिए नए ऋणों की प्रत्याशा की गई है:-

क्रम सं.	परियोजना का नाम
1.	महाराष्ट्र पारेषण प्रणाली परियोजना
2.	गोवा जलापूर्ति और मलव्यवस्था परियोजना
3.	हरियाणा पारेषण प्रणाली परियोजना
4.	दिल्ली जन द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना चरण 2 (III)
5.	कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो परियोजना
6.	हैदराबाद आउटर रिंग रोड परियोजना चरण 1
7.	उत्तर प्रदेश भागीदारी वन प्रबंधन और गरीबी उन्मूलन परियोजना
8.	होगेनक्कल जलापूर्ति और फ्लोरोसिस शमन परियोजना
9.	तमिलनाडु शहरी अवसंरचना परियोजना

इसके अलावा, जापान से प्राप्त ओडीए ऋण सहायता से 50 चालू परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है।

I. जापान से अनुदान: चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्याशित अनुदान प्राप्तियाँ इस प्रकार हैं:

		(करोड़ रुपए)
(i)	सामान्य अनुदान	4.23
(ii)	ऋण राहत अनुदान	4.80
	जोड़	**9.03**

VI. रूसी परिसंघ

रुस 1965 से विकास साझेदार बना हुआ है। न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड वीवीईआर-1000 टाइप प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए 2000 मेगावाट क्षमता (दो इकाइयां) की कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना का निर्माण कर रहा है। यह परियोजना भारत गणराज्य और रूसी परिसंघ की सरकार के बीच दिनांक 20.11.1988 को हस्ताक्षरित अंतर-सरकार करार और दिनांक 21.6.1998 को हस्ताक्षरित उसके समर्थक दस्तावेज के तहत तकनीकी सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

वर्ष 2007-2008 और 2008-2009 के दौरान कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना के लिए क्रमशः 737.12 करोड़ रुपए और 974.71 करोड़ रुपए की सहायता का उपयोग किए जाने का अनुमान है।

VII. यूनाइटेड किंगडम

यूनाइटेड किंगडम वर्ष 1958 से अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग के माध्यम से भारत को द्विपक्षीय विकास सहायता प्रदान करता आ रहा है। अनुदानों के रूप में, यू.के. इस समय भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय विकास सहयोग साझेदार है। यू.के. से सहायता वित्तीय सहयोग (बजट के माध्यम से लाई गई) और तकनीकी सहयोग के रूप में उपलब्ध है जिसमें परामर्शी सेवाएं, विशेषज्ञों का नियोजन प्रशिक्षण आदि शामिल है।

यू.के. की विकास सहयोग सहायता परस्पर सहमत परियोजनाओं मुख्यतः शिक्षा, गंदी बस्ती सुधार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्रामीण आजीविका गरीबी उन्मूलन के बढ़े हुए दायरे के कार्य के भीतर प्रदान की जाती है। केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) जैसे सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) आरसीएच आदि को कुल डीएफआईडी सहायता का लगभग 50% जाता है। आन्ध्र-प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पं. बंगाल यू.के. सहायता के प्राथमिकता वाले राज्य हैं। डीएफआईडी निर्धनतम क्षेत्र सिविल सोसाइटी के माध्यम से सिविल सोसाइटी परियोजनाओं में भी अंशदान करता है।

मार्च, 2004 में डीएफआईडी ने 2004-2008 के लिए भारत में अपनी नई देशीय आयोजना प्रारंभ की है। डीएफआईडी भारत के लिए नई देशीय सहायता आयोजना 2009-15 को अंतिम रूप दे रहा है, जिसका संकेन्द्रण मध्य प्रदेश, उड़ीसा को सहायता प्रदान करना और आन्ध्र प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल से धीरे-धीरे वापस लेना और बिहार और उत्तर प्रदेश दो नए राज्यों को सहायता प्रदान करना आरंभ करना होगा।

इस समय डीएफआईडी की 1400.45 मिलियन पौंड की सहायता से 27 चालू परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। अप्रैल-नवम्बर 2007 के दौरान डीएफआईडी की सहायता के लिए 223.7 मिलियन पाऊण्ड के कुल अनुदान वाली पांच नई परियोजनाएं हस्ताक्षरित की गई थीं। वर्ष 2007-08 के दौरान डीएफआईडी की कुल संवितरित राशि 30.9.07 की स्थिति के अनुसार 1100 करोड़ रुपए के सं.अ. की तुलना में 648.32 मिलियन पौंड है।

VIII. संयुक्त राज्य अमरीका

संयुक्त राज्य अमरीका 1951 से भारत को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा यूएसएआईडी के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सहायता अनुदान के रुप में है।

उपर्युक्त कुल सहायता में अमरीकी राजकोषीय वर्ष 2007 के लिए प्राधिकृत 27.534 मिलियन अमरीकी डालर की यूएसएआईडी की विकास सहायता शामिल है, जो 30.9.2007 को समाप्त हो गई थी तथा उसमें कुल 26.936 मिलियन अमरीकी डालर के लिए निम्नलिखित 8 (आठ) करार/संशोधनात्मक करार शामिल हैं। 30.9.2007 की स्थिति के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 14.05 करोड़ रुपए का संवितरण प्राप्त किया गया है जो 81.05 करोड़ रुपए के सं.अ. 2007-08 की तुलना में हैं।

संयुक्त राज्य वित्तीय वर्ष 2007 के दौरान (अक्तूबर 2006-सितम्बर 2007) पीएल 480 टाइटल II कार्यक्रम के अन्तर्गत 31.038 मिलियन अमरीकी डालर की वस्तु सहायता का यूएस सहायता का अनुग्रह प्रदान किया।

IX. यूरोपीय आयोग (ईसी)

यूरोपीय आयोग (ईसी) 1976 से भारत को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। भारत को ईसी सहायता अनुदानों के रूप में है और वर्तमान में यह शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर केंद्रित है।

प्रारंभिक चरणों में, ईसी की विकास सहायता परियोजना वित्तपोषण के रूप में थी। तथापि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र कार्यक्रम के समर्थन से ईसी. ने अपनी रणनीति में क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण अपनाया है। ईसी द्वारा भागीदार देशों के लिए अपने देशी कार्यनीति कागजातों के द्वारा बहु-वार्षिक आर्थिक और विकास सहयोग कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है।

2002-06 के लिए भारत हेतु सीएसपी के अंतर्गत यूरोपीय आयोग ने स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण तथा छत्तीसगढ़ और राजस्थान के साथ राज्य भागीदारी कार्यक्रम(एसपीपी) में पांच वर्षीय आवंटन के लिए 225 मिलियन यूरो की वचनबद्धता की। यूरोपीय आयोग छत्तीसगढ और राजस्थान प्रत्येक के लिए 80 मिलियन यूरो के आवंटन के साथ एसपीपी के लिए 160 मिलियन यूरो उपलब्ध करा रहा है। यूरोपीय आयोग द्वारा 20.7.2007 को अनुमोदित सीएसपी 2007-2013 में शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र और संयुक्त कार्य योजना के कार्यान्वयन में बनने वाली परियोजनाओं में सहायता के लिए पहले मल्टी एनुअल इंडिकेटिव प्रोग्राम (एमआईपी 2007-10) के अंतर्गत 2007-2010 की अवधि के लिए कुल 260 मिलियन यूरो राशि की वचनबद्धता की गई है। एमआईपी 2007-2010 के लिए समझौता ज्ञापन पर वर्तमान वर्ष में हस्ताक्षर होने की संभावना है।

शिक्षा क्षेत्र में 200 मिलियन यूरो की यूरोपीय आयोग की सहायता से शिक्षा क्षेत्र में (सर्वशिक्षा अभियान) में केवल एक केन्द्रीय परियोजना चल रही है। 2006-07 के दौरान जारी विकास सहयोग परियोजनाओं के लिए यूरोपीय आयोग सहायता की प्रतिपूर्ति 67.367 मिलियन यूरो थी।

X. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (आईबीआरडी)

आईबीआरडी का लक्ष्य ऋणों, गारंटियों, गैर-ऋण सेवाओं जिनमें विश्लेषणात्मक और परामर्शी सेवाएं शामिल हैं, के माध्यम से सतत् विकास को बढ़ावा देकर मध्यम आय वाले देशों और ऋण प्राप्त करने के योग्य निर्धन देशों में गरीबी को कम करना है। आईबीआरडी के ऋणों की वापसी अदायगी की अवधि 5 वर्ष की छूट की अवधि सहित 20 वर्ष है। परिवर्तनीय कीमत-लागत अंतर वाले ऋणों पर ब्याज की दर में एक परिवर्ती मूल दर तथा कीमत-लागत अंतर शामिल होता है। ब्याज दर को प्रत्येक ब्याज अदायगी तारीख को अर्द्धवार्षिक रूप से पुनःनिर्धारित किया जाता है और यह उन तारीखों को प्रारंभ होने वाली ब्याज अवधियों के लिए लागू होती है। मूल दर किसी ब्याज अवधि के आरंभ में मूल्य के लिए 6 माह का लिबोर है। 15.9.07 को ब्याज दर 5.91 प्रतिशत है। 16.5.07 के बाद हस्ताक्षरित नई परियोजनाओं के लिए कोई वचनबद्धता शुल्क नहीं होगा। तथापि, ऋण की प्रभावी तारीख से ऋण राशि के 0.25% का फ्रंट एंड शुल्क देय होगा।

आईबीआरडी का ऋणों के जरिए दिनांक 30-9-2007 तक संचयी ऋण 29806.26 मिलियन अमरीकी डालर है। वचनबद्धताएं विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि सिंचाई, पन बिजली, ग्रामीण सहकारिताएं, सड़क, आर्थिक सुधारों आदि परियोजनाओं के लिए हैं।

वर्ष 2007 (दिनांक 30.9.2007 तक) के दौरान 1666.5 मिलियन अमरीकी डालर की वचनबद्धता राशि के साथ आठ नई परियोजनाएं स्वीकृत की गयी। सं.अ. 4305.04 करोड़ रुपए की तुलना में दिनांक 30.9.2007 तक 1293.20 करोड़ रुपए का संवितरण प्राप्त हुआ।

XI. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)

आईडीए विश्व बैंक का रियायती सहयोगी है और बैंक के गरीबी उन्मूलन अभियान को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आईडीए सहायता विश्व के 81 निर्धनतम देशों पर केन्द्रित है जिन्हें यह ब्याज मुक्त ऋण (क्रेडिट के रूप में ज्ञात) और अन्य ऋण भिन्न सेवाएं प्रदान करता है। आईडीए अपने अधिकांश वित्तीय संसाधनों के लिए अपने धनी देशों जिसमें कुछ विकासशील देश शामिल हैं, के अंशदान पर निर्भर करता है।

भारत को दिनांक 30.6.1987 तक अनुमोदित ऋणों की 50 वर्ष में वापसी-अदायगी की जानी है जिसमें 10 वर्ष की छूट अवधि शामिल है और दिनांक 1.07.1987 से अनुमोदित ऋणों की वापसी-अदायगी 35 वर्ष में की जानी है जिसमें 10 वर्ष की छूट की अवधि शामिल है। आईडीए ऋणों पर कोई ब्याज प्रभार नहीं लगता है परन्तु ऋण के संवितरित राशि के भाग पर 0.75 प्रतिशत का सेवा प्रभार लगता है। इसके अतिरिक्त, असंवितरित शेषों पर वचनबद्धता प्रभार 0.2 प्रतिशत तक के न्यूनतम तक प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है।

भारत को आईडीए सहायता जून, 1961 में शुरू हुई और यह वैदेशिक सहायता कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है। दिनांक 30.9.2007 तक स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, कृषि, गरीबी उन्मूलन, आदि विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए आईडीए द्वारा भारत को दिया गया संचयी ऋण 31603.16 मिलियन अमरीकी डालर है।

वर्ष 2007 के दौरान (दिनांक 30.9.2007 तक) 1392.5 मिलियन अमरीकी डालर की वचनबद्धता के साथ ग्यारह नयी परियोजनाएं स्वीकृत की गयी। दिनांक 30.9.2007 तक सं.अ. 4033.09 करोड़ रुपए के मुकाबले 1580.40 करोड़ रुपए का संवितरण प्राप्त हुआ। सं.अ. में बढ़ोतरी का श्रेय मुख्यतः राष्ट्रीय एचआईवी/एड्स नियंत्रण परियोजना में 150 करोड़ रुपए के वर्धित व्यय को दिया जाता है।

XII. एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.)

एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) एक मुख्य क्षेत्रीय संस्था है। ए.डी.बी. के पूंजीगत स्टाक में भारत का योगदान जापान, अमरीका और चीन गणराज्य के बाद सदस्य देशों में चौथा सबसे बड़ा है।

आरम्भ में, 1966 में बैंक की स्थापना के बाद से, भारत स्वैच्छिक रूप से एडीबी से उधार लेने से बचा था। भारत सरकार ने ए.डी.बी. से, 1986 से उधार लेना आरम्भ किया जब विदेशी वित्तपोषण के स्रोतों में विविधीकरण को वांछनीय समझा गया। दिनांक 31.7.2007 तक एडीबी द्वारा सरकारी क्षेत्र के लिए अनुमोदित ऋण की राशि 18,768 बिलियन अमरीकी डालर थी। वे क्षेत्र जिन के लिए एडीबी से ऋण लिया गया है, मुख्यतः विद्युत, कृषि, पैट्रोलियम, पत्तन, रेलवे, सड़क, दूरसंचार, सिंचाई, ग्रामीण वित्त और शहरी विकास क्षेत्रों में हैं। कलैण्डर वर्ष 2007 के दौरान, एडीबी द्वारा 2013 मिलियन अमरीकी डालर की कुल राशि की पांच परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया/समझौते किए गए।

दिनांक 30.9.2007 की स्थिति के अनुसार, एडीवी से 5489 करोड़ रुपए के सं.अ. की तुलना में 1910.61 करोड़ रुपए का संवितरण प्राप्त हुआ।

XIII. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.)

वर्ष 2007-08 के दौरान 149.33 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने का अनुमान है।

यूएनडीपी अपनी विकास सहायता को पांच वर्षीय देश सहायता ढांचा (सीसीएफ) के माध्यम से सरणीकृत करता है। प्रथम देश सहायता ढांचा (सीसीएफ-I) की अवधि 1997-2002 थी, जो कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के साथ-साथ चली। सीसीएफ II की अवधि भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के समकालित है तथा इसके लैंगिक समता तथा विकेन्द्रीकरण का सुदृढ़ीकरण के दो समान उद्देश्य हैं। यह 4 थिमैटिक क्षेत्रों पर ध्यान देगा- (i) मानव विकास एवं लैंगिक समता को बढ़ावा देना (ii) विकेन्द्रीकरण के लिए क्षमता निर्माण (iii) गरीबी उन्मूलन तथा नियमित आजीविका (iv) संवेधता में कमी तथा पर्यावरण नियमितता। यूएनडीपी ने सं.अ. 89.24 करोड़ रुपए की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान 77.62 करोड़ रुपए (दिनांक 30.9.2007 तक) की राशि संवितरित की।

XIV. ओपेक

ओपेक भारत सरकार को वर्ष 1977 से ऋण सहायता उपलब्ध करा रहा है। दिनांक 31.3.2007 तक 221.6 मिलियन अमरीकी डालर की राशि के 15 ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए गए। वर्ष 2007-08 का सं.अ. 11 करोड़ रुपए है।

विवरण 1
विदेशी ऋण

(करोड़ रुपए)

देश/संस्था का नाम	प्राप्तियां			वापसी-अदायगियां		
	बजट अनुमान 2007-2008	संशोधित अनुमान 2007-2008	बजट अनुमान 2008-2009	बजट अनुमान 2007-2008	संशोधित अनुमान 2007-2008	बजट अनुमान 2008-2009
बहुपक्षीय						
आई. बी. आर. डी.	4239.00	4305.04	4101.62	1232.20	1060.18	1321.14
आई. डी. ए.	3808.41	4033.09	4804.42	3217.97	2899.48	3047.25
आई. एफ. ए. डी.	72.00	101.35	70.50	44.27	41.95	41.52
ए. डी. बी.	2898.92	5489.00	5513.85	287.88	269.43	441.81
ई. ई. सी, (एस. ए. सी)	...	...	...	6.76	6.16	6.09
ओ. पी. ई. सी.	...	11.03	10.95	3.85	3.36	3.29
कुल (बहुपक्षीय)	**11018.33**	**13939.51**	**14501.34**	**4792.93**	**4280.56**	**4861.10**
द्विपक्षीय						
जर्मनी	161.15	83.37	236.80	429.29	385.66	384.94
फ्रांस	6.66	5.04	14.08	222.26	213.39	215.95
इटली	25.00	20.00	20.00	...	...	...
जापान	4519.76	2617.68	3462.71	2361.62	2078.82	2131.41
स्विटजरलैंड	0.50	...	...	1.74	1.60	2.31
संयुक्त राज्य अमरीका	...	...	...	389.78	338.08	284.14
रूसी संघ	1720.12	737.00	975.00	143.35	134.48	340.81
कुल (द्विपक्षीय)	**6433.19**	**3463.09**	**4708.59**	**3548.04**	**3152.03**	**3359.56**
कुल जोड़	***17451.52***	***17402.60***	***19209.93***	***8340.97***	***7432.59***	***8220.66***

विवरण 2

विदेशी मित्र देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय निकायों से अनुदान तथा वस्तु सहायता

(करोड़ रुपए)

देश/संस्था का नाम	बजट अनुमान 2007-2008	संशोधित अनुमान 2007-2008	बजट अनुमान 2008-2009
बहुपक्षीय			
ए.डी.बी	...	150.00	150.00
आई. एफ. ए. डी.	...	23.95	25.00
आई बी आर डी (अमरीकी डालर)	2.00	11.56	3.75
आई डी ए (अमरीकी डालर)	...	9.62	2.00
द्विपक्षीय			
जर्मनी	187.70	68.38	86.58
जापान	6.20	9.03	...
नीदरलैंड	0.02	0.02	0.02
यूनाइटेड किंगडम (डी.एफ.आई.डी)	1080.00	1140.00	1090.00
ई. ई. सी.	152.45	156.91	130.04
संयुक्त राज्य अमरीका सहायता	100.56	81.05	67.15
नार्वे	0.30	...	...
अन्तर्राष्ट्रीय निकाय			
जी.ई.एफ.	61.00	351.42	200.00
यू. एन. डी. पी.	492.14	89.24	40.79
यूएनजीएफएटीएम	45.00	...	...
विश्व स्वास्थ्य संगठन	7.80	...	...
जोड़	**2135.17**	**2091.18**	**1795.33**